न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/07/2025

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री संजय कुमार पुत्र श्री धर्मसिहं, जाति जाट निवासी मई गुर्जर भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद
2–श्री अभिषेक जैन, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 02.05.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ ऊँचा नगला स्थित राजन सिहं पुत्र हीरालाल, धनागढ वाले की दुकान पर कार्यवाही की गई। मौके पर श्री संजय कुमार पुत्र श्री धर्मसिहं, जाति जाट निवासी मई गुर्जर भरतपुर उपस्थित मिला। जिसने यह स्थान किराये का होना बताया। उक्त स्थान पर 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 08 खाली एवं 04 भरे गैस सिलेण्डर तथा एक विद्युत चलित मोटर मय नली मौजूद मिले। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारित सिलेण्डरों बाबत् कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों के अवैध संग्रहण, भण्डारण बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के अवैध संग्रहण, भण्डारण करना द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन)

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त जप्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी एवं उनके परिवारीजनों के एवं पास के गॉव वालों के हैं जो रिफिल कराने के लिए दुकान पर रखे हुये थे। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों को व्यवसासिक उपयोग नहीं किया जा रहा था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। दुकान पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण, भण्डारण करना पाया गया है। अप्रार्थी का यह कहना कि ढावे पर मौजूद सिलेण्डर परिवारीजनों के एवं पास के गांव के व्यक्तियों के हैं, जिस बाबत् प्रार्थी ने ना तो कोई लिखित जबात पेश किया गया है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये हैं। अप्रार्थी का यह कथन वाद की सोच के तहत किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं रहता है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 08 खाली एवं 04 भरे हुये, कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही जप्त विद्युत चलित मोटर मय नली आदि सामान का नियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर